उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (अंशों का अर्जन), 1992

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 1992)

THE UTTAR PRADESH STATE CEMENT CORPORATION LIMITED (ACQUISITION OF SHARES) ACT, 1992

(U.P. Act No. 4 of 1992)

उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (अंशो का अर्जन) अधिनियम, 1992[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 1992]

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ। "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने दिनांक 9 मार्च, 1992 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 9 मार्च, 1992 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

कतिपय कम्पनियों द्वारा धृत उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के अंशों का, लोक हित में, अर्जन और उससे सम्बद्ध और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

चूंकि उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड एक सरकारी कम्पनी है जिसे कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन कम्पनी के रूप में निगमित किया गया ;

और, चूंकि राज्य सरकार ने डालमिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड से सहयोग का एक करार किया या जिसके अधीन राज्य सरकार कार्पोरेशन के 51 प्रतिशत अंशों को डालमिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड और उसके नाम निर्देशितों को अन्तरित करने के लिए सहमत हो गई थी और उक्त डालमिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा कापरिशन का प्रबन्ध ग्रहण किया जाना था ;

और, चूंकि उच्च न्यायालय के अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 16 अक्टूबर, 1990 के कारण कार्पोरेशन द्वारा संचालित कारखाने उपर्युक्त सहयोगियों को नहीं सौंपे जा सके और इसलिए राज्य सरकार द्वारा केवल 49 प्रतिशत अंशों को पूर्ण भुगतान किए गए एक सौ रुपये के अंकित मूल्य के प्रत्येक अंश को पचहत्तर रुपये की दर से अन्तरित किया गया;

और, चूंकि ऐसे अन्तरण का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका ;

और, चूंकि उपर्युक्त डालमिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड और उसकी नामनिर्देशिती कम्पनियों द्वारा धृत उक्त कार्पोरेशन के अंशों को वापस अर्जित किया जाना लोक हित में समीचीन है ;

अतएव, अब, भारत गणराज्य के तैंतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाना है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (अंशों का अर्जन) अधिनियम, 1992 कहा जायेगा।

(2) यह 11 अक्टूबर, 1991 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें ।

परिभाषाएं

2–इस अधिनियम में, पद––

(क) "कम्पनियों" का तात्पर्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट कम्पनियों से है,

(ख) "कार्पोरेशन" का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अधीन निगमित उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड से हैं जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश में चुर्क जिला सोनभद्र में है।

अंशो का निहित होना

3–इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को कार्पोरेशन की अंश पूंजी में कम्पनियों द्वारा धृत, सभी अंश राज्य सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जायेंगे।

कम्पनियों की धनराशि का भुगतान

4–(1) धारा 3 में निर्दिष्ट अंशों के अन्तरण और निहित हो जाने के लिए राज्य सरकार ऐसे अन्तरण और निहित हो जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर कम्पनियों को अनुसूची में प्रत्येक के सामने क्रमशः विनिर्दिष्ट धनराशि का भुगतान करेगी जो पूर्व में राज्य सरकार द्वारा ऐसी कम्पनियों को किये गये अशों के अन्तरण के प्रतिफल के लिए उन कम्पनियों द्वारा राज्य सरकार को किये गये वास्तविक भुगतान की धनराशि के पूर्णतया बराबर है।

(2) यदि, राज्य सरकार उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उस उपधारा में निर्दिष्ट धनराशि कम्पनियों को भुगतान करने में त्रुटि करे, तो वह भुगतान न की गई धनराशि पर ऐसे निहित होने के दिनांक से भुगतान के दिनांक तक बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण व्याज का भुगतान करेगी।

(3) कम्पनियां, राज्य सरकार में अंशों के ऐसे निहित हो जाने पर राज्य सरकार को उस प्रतिफल की जिसके लिए उन्होंने पूर्व में राज्य सरकार से ऐसे अंश प्राप्त किए थे, बकाया धनराशि का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त हो जायेंगी।

अंश प्रमाण–पत्रों का परिदान

5–(1) कोई व्यक्ति जिसके कब्जे में धारा 3 के द्वारा राज्य सरकार को अन्तरित और उसमें निहित अंशों से सम्बन्धित अंश–प्रमाण–पत्र है, तुरन्त और विलम्बतम इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीस दिन के भीतर उन अंश प्रमाण–पत्रों को राज्य सरकार को समर्पित कर देगा।

(2) धारा 6 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपधारा (1) में यथापेक्षित अंश–प्रमाण–पत्रों को समर्पित करने में विलम्ब न करने या समर्पित करने में विलम्ब करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, अंश–प्रमाण पत्रों के समर्पित न करने या समर्पित करने में विलम्ब के कारण राज्य सरकार को हुई किसी हानि की क्षतिपूर्ति करने का दायी होगा।

शास्ति

6–कोई व्यक्ति जो धारा 5 की उपधारा (1) के उपबन्धों का पालन करने में त्रुटि करता है. ऐसी अवधि के लिये जो दो वर्ष तक हो सकती है कारावास से, या जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

7–(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है तो वह कम्पनी और अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिये कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तद्नुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्डित किया जा सकेगा ;

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसे उस अपराध को रोकने के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध उस कम्पनी के किसी सचिव, कोषाध्यक्ष निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सहमति या मौन सम्मति से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, तो कम्पनी का ऐसा सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्डित किया जा सकेगा ;

स्पष्टीकरणः– इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यष्टियों के अन्य संगम भी है, और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है।

सदभावना से की गई कार्यवाही का संरक्षण

8–राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरूद्ध ऐसे किसी कार्य के लिए जो इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, या दिए गए किसी आदेश या अनुदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो, या किये जाने के लिये आशयित हो, कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

9–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नही दिया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनो सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के सम्बन्ध में लागू होते है।

नियम बनाने की शक्ति

10–राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

निरसन और अपवाद

11–(1) उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंन्ट कापॉरेशन लिमिटेड (अंशो का अर्जन) अध्यादेश, 1991 एतव्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेंगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थें।

अनुसूची

[धारा 2 (क) और 4 (1) देखिए]

क्रम–संख्या	कम्पनियों का विवरण		कार्पोरेशन में कम्पनियों द्वारा धृत अंशो की सं0 जो अब राज्य सरकार में निहित हो गई हैं	धारा 4 (1) के अधीन कम्पनियों को देय धनराशि (रूपये)
	नाम	रजिस्ट्रीकृत कार्यालय		
1	2	3	4	5
1	डालमिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	घाना सीवर, बाईपास रोड, भतरपुर, राजस्थान	282240	2,11,68,000
2	डियर इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	252–ए, शाहपुर जाट, नई दिल्ली	266670	25,00,000
3	एलीगेन्ट इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	तदैव	266670	25,00,000
4	कैरिसा इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	तदैव	266670	25,00,000
5	फोर एवर इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	तदैव	266670	25,00,000
6	ओवल इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	तदैव	266670	25,00,000
7	क्रास इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	तदैव	266670	25,00,000
8	हारवटेक्स इंजीनिरयरिंग एण्ड प्रोसेसिंग कम्पनी लिमिटेड	504–ए, स्काईलार्क बिल्डिंग 60 नेहरू प्लेस नई दिल्ली।	266670	25,00,000
9	उटकिंस होल्डिंग्स लिमिटेड	तदैव	266670	25,00,000
10	केयरफा इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	तदैव	266670	25,00,000
11	डिवाइन लीजिंग एण्ड फाइनेंन्स लिमिटेड	तदैव	266670	25,00,000
12	श्यामकुंज ट्रेडर्स एण्ड एजेन्सीज लिमिटेड	तदैव	266670	25,00,000
13	एक्सीलेन्ट कामर्शियल इन्टरप्राईजेज एण्ड इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड	तदैव	130110	25,00,000
		योग	3345720	5,11,68,000

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कापोरेशन लिमिटेड की तीन इकाईयों चुनार, जिला मिर्जापुर में और डाला और चुर्क, जिला सोनभद्र में स्थित हैं। राज्य सरकार ने डालमिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड से इस आशय का एक करार किया कि राज्य सरकार उक्त कापोरेशन के 51 प्रतिशन अंश डालमिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड और उसके द्वारा नाम निर्देशित सहयुक्त इकाईयों को अन्तरित करेगी। किन्तु उच्च न्यायालय के दिनांक 16 अक्टूबर, 1990 के अन्तरिम आदेश के कारण उक्त कापोरेशन द्वारा संचालित कारखानों को उपर्युक्त सहयोगियों को नहीं सौंपा जा सका और केवल 49 प्रतिशत अंश ही प्राइवेट सेक्टर को अन्तरित किये गये। कारखानों में श्रमिक अशान्ति थी और उत्पादन में गिरावट आ गयी थी। ऐसे स्थिति में उन प्रयोजनो को प्राप्त नहीं किया जा सका जिनके लिये प्राइवेट सेक्टर को सहभागी बनाये जाने का विनिश्चय किया गया था। अतएव यह विनिश्चय किया गया कि प्राइवेट सेक्टर को अन्तरित 49 प्रतिशत अंश वापस अर्जित कर लिये जाये और राज्य सरकार को प्राप्त उनका मूल्य ऐसे अर्जन के लिये प्रतिकर के रूप में वापस कर दिया जाय।

2—चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नही था और उपर्युक्त विनिश्चिय को तत्काल कार्यान्वित करना आवश्यक था, इसलिये राज्यपाल द्वारा 11 अक्टूबर, 1991 को उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (अंशो का अर्जन) अध्यादेश, 1991 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 41 सन् 1991) प्रख्यापित किया गया।

3—यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।